प्रेस नोट

दिनांक 20.01.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा दहेज 01 आरोपी हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 21/2026 धारा 85/80 (2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त- बनवारीलाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी ढोढेपुर बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को साई धर्म कांटा के पास थाना क्षेत्र तरबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी श्रीमती उमा देवी पत्नी स्व0 श्यामूबाबू निवासी रफीनगर थाना उतरौला बलरामपुर द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की का विवाह लगभग 03 वर्ष पूर्व रंजीत गुप्ता पुत्र वनवारीलाल गुप्ता निवासी ढोढेपुर बाजार थाना तरबगंज गोण्डा से हुआ था। शादी के बाद से ही उसकी पुत्री को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज में 10 लाख रूपए नकद व जेवर की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, और दिनांक 15.01.2026 को रात में विपक्षी ससुरालीजन द्वारा उनकी लड़की को गला दबा कर मार दिया और फिर उसे फाँसी पर लटका दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20.01.2026 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त बनवारी लाल पुत्र कन्हैयालाल नि0 ग्राम ढोढेपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को साई धर्म कांटा के पास थाना क्षेत्र तरबगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. बनवारी लाल पुत्र कन्हैयालाल नि0 ग्राम ढोढेपुर बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 21/2026 धारा 85/80 (2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना तरबगंजजनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र पाण्डेय
2. का0 अंकित राय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट-
दिनांक 20.01.2026

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरुक तथा फीडबैक फॉर्म भरवाए गए-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारियों एवं एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके आवागमन के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर महिलाओं/बालिकाओं से फीडबैक फॉर्म भरवाए गए, जिनके माध्यम से संवेदनशील एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए मनचलों को एण्टी रोमियो स्क्वायड टीम द्वारा रेड कार्ड जारी कर सख्त चेतावनी दी गई, जिससे भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो।
टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है। इसके साथ ही शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है।
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076 – माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108 – एंबुलेंस सेवा
1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
102 स्वास्थ्य सेवा
इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल अथवा संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव तथा सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया।

टीमों द्वारा यह भी बताया गया कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य केवल महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे प्रत्येक परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
जनपद – गोण्डा
दिनांक – 20.01.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मानव तस्करी की रोकथाम हेतु थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में चलाया गया "ऑपरेशन रक्षा" अभियान-

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ के आदेशानुसार मानव तस्करी की रोकथाम, महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण, रेस्क्यू, विधिक कार्यवाही एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु 15 दिवसीय "ऑपरेशन रक्षा" अभियान के दौरान आज दिनांक 20.01.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत संचालित स्पा सेंटरों, मसाज पार्लरों एवं होटलों में विशेष अभियान चलाकर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में नहीं आई। साथ ही संबंधित संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या अवैध गतिविधि पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस अभियान के दौरान एएचटीयू प्रभारी श्री लाल बिहारी मय टीम, एसजेपीयू प्रभारी श्रीमती प्रियंका मिश्रा, आरक्षी अखिलेश यादव तथा अपराजिता सामाजिक संगठन से श्री आत्रेय त्रिपाठी एवं चाइल्ड लाइन गोण्डा से श्री हितेश भारद्वाज उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।